



डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ0प्र0

सेक्टर-11, जानकीपुरम विस्तार योजना, लखनऊ-226031

पत्रांक: ए0के0टी0यू0/कुस0का0/स0वि0/2025/9028

दिनांक: 27 अक्टूबर, 2025

सेवा में,
निदेशक / प्राचार्य,

KAILASH INSTITUTE OF PHARMACY & MEDICAL SCIENCES, Gorakhpur (1248)

विषय: शैक्षिक सत्र 2025-26 की सम्बद्धता के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि फार्मसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली के द्वारा आपके संस्थान को प्रदान किये गये अनुमोदन पर विश्वविद्यालय सम्बद्धता समिति द्वारा दिनांक 09.10.2025 को विचारोपरान्त की गई संस्तुतियों के क्रम में निर्गत शासनादेश 1/1123252/2025/16-1099/142/2025 दिनांक 26.10.2025 के अनुसार, विश्वविद्यालय में प्रवर्तित उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 23(2) के अधीन मा0 कार्यपरिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में संस्थान को निर्माकित विवरण के अनुसार स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत शैक्षिक सत्र 2025-26 हेतु विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है, विवरण निम्नानुसार है।

Course	Branch Name	Intake Applied	Approved Intake By PCI	Intake Approved For Affiliation
Bachelor of Pharmacy	Bachelor of Pharmacy	60	60	60

उपरोक्त अस्थायी सम्बद्धता निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:-

- नए विषय में सम्बद्धता हेतु किसी भी आवेदन पर तब तक विचार नहीं किया जायेगा जब तक सम्बद्धता तथा पूर्ववर्ती सम्बद्धता की शर्तें पूरी तरह से पूर्ण की गयी हैं। (विनियम: 6.11)
- प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश एवं अनुशासन के लिए निर्धारित नियमों का कठोरता से पालन करेगा। (विनियम: 6.12)
- प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय अपने उपस्करों तथा उपकरणों के साथ अपने भवनों, पुस्तकालयों तथा प्रयोगशालाओं और सेवाओं जैसे कि इसके अध्यापन कार्य करने वाले और दूसरे कर्मचारी जो विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के संचालन के उद्देश्य के लिए आवश्यक हों, की सूची विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायेगा। (विनियम: 6.13)
- जब तक किसी भी सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य/निदेशक का पद रिक्त होता है तो प्रबंधतंत्र किसी भी अध्यापक को तीन माह की अवधि अथवा किसी नियमित प्राचार्य/निदेशक की नियुक्ति तक जो कि पूर्वतर हो, प्राचार्य और निदेशक के तौर पर स्थानापन्न रूप में काम करने के लिए नियुक्त कर सकता है। यदि तीन माह की अवधि की समाप्ति तक अथवा पूर्ण में ही कोई नियमित प्राचार्य की नियुक्ति नहीं कर ली जाती है या इस प्रकार का कोई प्राचार्य पद को धारण नहीं करता है तो महाविद्यालय का वरिष्ठतम अध्यापक इस प्रकार के महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य/निदेशक के तौर पर स्थानापन्न रूप में तब तक कार्य करेगा, जब तक कोई नियमित प्राचार्य/निदेशक नहीं नियुक्त हो जाता है। (विनियम: 6.15)
- प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय, सम्बद्ध महाविद्यालयों के लिए आवश्यक रजिस्ट्रों का अनुरक्षण करेगा और समय-समय पर विश्वविद्यालय की विवरणी उस रूप में जैसा कि विश्वविद्यालय के लिए आवश्यक हो उपलब्ध करेगा। (विनियम: 6.16क)

Signature valid

Digitally Signed by : Reena Singh
Organisation : Personal
State : Uttar Pradesh
Postal Code : 201010 Country : IN
Serial Number : 32ce1b40e11346189116fb5efa4d362ab
90d73829ff7371d15439e5269

6. प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय के लिए अपनी वेबसाइट का अनुरक्षण करना तथा विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रारूप पर महाविद्यालय से सम्बन्धित तथ्यों की प्रविष्टि करना आवश्यक होगा। (विनियम: 6.16ख)

7. जहाँ कार्य परिषद अथवा कुलपति किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का निरीक्षण करवाना चाहते हैं, वहाँ महाविद्यालय ऐसे निरीक्षण के परिणामों को उस पर अपने विचारों के साथ संसूचित कर सकता है और की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रबन्धतंत्र को निर्देशित कर सकता है। (विनियम: 6.17क)

8. जहाँ सम्बद्ध महाविद्यालय का प्रबन्धतंत्र कार्यपरिषद के समाधानप्रद कार्यवाही नहीं करता है, वहाँ वह प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण अथवा दिये गये अभ्यावेदन पर विचारोपरान्त ऐसे निर्देश जारी कर सकता है जैसा कि वह उपयुक्त समझे और प्रबन्धतंत्र ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगा, ऐसा करने में विफल रहने पर कार्यकारी परिषद विनियम 6.28 के अधीन उसके अनुसार कार्यवाही कर सकता है। (विनियम: 6.17ख)

9. महाविद्यालय के अध्यापक वर्ग के कर्मचारी के सभी पद जो स्थायी अथवा अस्थायी रूप से रिक्त हो जाते हैं, से सम्बन्धित सूचनायें उसके रिक्त होने के पन्द्रह दिनों के अन्दर विश्वविद्यालय को संसूचित कर दी जायेगी। (विनियम: 6.18)

10. फार्मसी काउन्सिल आफ इण्डिया की पूर्व अनुमति के बिना एक सम्बद्ध महाविद्यालय के किसी कक्षा अथवा अनुभाग में छात्रों की संख्या स्वीकृत संख्या से अधिक नहीं होगी। (विनियम: 6.19)

11. कार्यकारी परिषद सम्बद्ध महाविद्यालय के पाठ्यक्रमों में अगले वर्ष के प्रवेश को एक संख्या तक, जो वह किसी भी शैक्षिक वर्ष में महाविद्यालय द्वारा की गयी गलतियों के लिए शक्ति के तौर पर समझता है, घटा सकता है अथवा महाविद्यालय को आर्थिक रूप से भी दण्डित किया जा सकता है। (विनियम: 6.20)

12. सम्बद्धता की निरन्तरता विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों की निरन्तर उपलब्धि पर निर्भर करेगी। (विनियम: 6.21)

13. यदि कोई महाविद्यालय लगातार तीन वर्षों तक विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी परीक्षा में कोई भी अभ्यर्थी भेजने में असफल होता है तो उसकी सम्बद्धता समाप्त समझी जायेगी। (विनियम: 6.22)

14. कार्यपरिषद किसी महाविद्यालय को किसी विशिष्ट कक्षा में प्रवेश न लेने के लिए निर्देशित कर सकती है, यदि कार्यपरिषद की राय में सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा उस कक्षा को प्रारम्भ करने के लिए निर्धारित शर्तों की अवहेलना की गई हो फिर भी यदि कार्य परिषद के समाधानप्रद रूप में शर्तें पूरी कर दी जाती हैं तो कार्यपरिषद की पूर्व अनुमति से कक्षाये पुनः प्रारम्भ की जा सकती है। (विनियम: 6.23)

15. यदि कोई महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तों को पूरा करने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय की अपेक्षाओं की अवहेलना करे और विश्वविद्यालय द्वारा नोटिस जारी किये जाने के बावजूद भी शर्तों को पूरा न करें तो कार्यपरिषद कुलाधिपति की पूर्व स्वीकृति से तब तक के लिए सम्बद्धता निलम्बित कर सकती है जब तक कि कार्यपरिषद के समाधानप्रद रूप में शर्तें पूरी न कर ली जाय। (विनियम: 6.24)

16. यदि सम्बद्ध महाविद्यालय कार्यपरिषद के निर्देशों का पालन करने या मान्यता की शर्तों को पूरा करने में विफल रहता है अथवा भारी कुप्रबन्ध के कारण से कार्यपरिषद की राय में महाविद्यालय को इस तरह की सम्बद्धता से वंचित कर दिया जाय, तो कार्यकारी परिषद राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से किसी सम्बद्ध महाविद्यालय को किसी विषय की उपाधि के लिए मान्यता के विशेषाधिकार से पूर्णतः या आंशिक रूप से वंचित कर सकती है। (विनियम: 6.25क)

17. यदि स्टॉफ के वेतन का भुगतान नियमित रूप से न किया जाय अथवा अध्यापकों को उनका वह वेतन न दिया गया हो, जिसके लिए वे विनियमों अथवा अध्यादेशों के अधीन हकदार थे और महाविद्यालय विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर यथा अपेक्षित कार्यवाही न करे तो सम्बद्ध महाविद्यालय की मान्यता इस विनियम के अन्तर्गत सम्बद्धता वापस करने के लिए जिम्मेदार होगा। (विनियम: 6.25ख)

18. संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा आनलाइन आवेदन के समय भरी गयी सूचनाओं/विवरण तथा सम्बद्धता संबंधी शुल्क न जमा करने तथा सीटों की संख्या में किसी भी प्रकार की त्रुटि शासन/विश्वविद्यालय के संज्ञान में आती है तो संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान का होगा।

19. विश्वविद्यालय में प्रवर्तित उ०प्र० प्राविधिक विश्वविद्यालय के प्रथम विनियमावली 2010 के अध्याय-6 (सम्बद्धता) में उल्लिखित समस्त प्राविधानों का पालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

Signature valid

Digitally Signed by : Reena Singh
Organisation : Personal
State : Uttar Pradesh
Postal Code : 201010 Country : IN
Serial Number
32ce1b40b11346139116fb5efa4d362ab
90d73829ff7377115109e5269

20. फार्मसी काउन्सिल आफ इण्डिया की मान्यता समाप्त होने या निरस्त किये जाने या प्रत्याहित करने की दशा में सम्बद्धता का यह अनुमोदन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

21. संस्थान का शैक्षिक सत्र के अन्तर्गत किसी भी समय औचक निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकता है और उक्त औचक निरीक्षण में निर्धारित मानकों के सापेक्ष कमियों के दृष्टिगत विश्वविद्यालय के नियमों/परिनियमों के अनुसार सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है। जिन संस्थानों की फार्मसी काउन्सिल आफ इण्डिया एवं विश्वविद्यालय के मानकों के सम्बन्ध में शासन अथवा विश्वविद्यालय स्तर से कोई निरीक्षण अथवा जांच की जाती है अथवा कोई नोटिस जारी की जाती है तो सम्बन्धित संस्थानों की सम्बद्धता, तदकार्यवाही के अधीन होगी।

22. संस्थान द्वारा प्रवेश में उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों/अनु० जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2006, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश मानकों, एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों से नियमानुसार निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का शुल्क न लिए जाने सम्बन्धित राज्य सरकार के शासनादेश के व्यवस्थाओं का अनुपालन न करने की स्थिति में, विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

23. विभिन्न संवर्गों के छात्रों हेतु शुल्क प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों का अनुपालन संस्थान द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि, संस्थान द्वारा इन आदेशों की अवहेलना की जाती है तो उस स्थिति में उनकी सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

24. संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि संस्थान में नवप्रवेशित/अध्ययनरत छात्रों से वही शुल्क लिया जाए जो शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित किया गया हो। शासन द्वारा निर्धारित किये गये शुल्क की सूचना संस्था द्वारा अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी। अन्य किसी प्रकार का शुल्क/डोनेशन लेने की शिकायत पर विश्वविद्यालय द्वारा संस्था की सम्बद्धता समाप्त करने एवं संस्था को "Black List" करने की कार्यवाही की जायेगी।

25. विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक एवं परीक्षा संबंधी कार्यों हेतु संस्थान के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिये गये दायित्वों का पालन सुनिश्चित करवाना, संस्थान का दायित्व होगा। संस्थान का यह दायित्व होगा कि वह शिक्षक अथवा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को तत्काल ही कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे। कतिपय कारणोंवश यदि ऐसा सम्भव न हो तो संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन में विचलन अथवा संस्था के औचक निरीक्षण में किसी प्रकार की कमियां पायी जाने की स्थिति में संस्था की अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धतंत्र का होगा।

कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक: उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, मा० कुलाधिपति/श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश, राजभवन लखनऊ।
2. अपर मुख्य सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. अध्यक्ष, फार्मसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली।
4. वित्त अधिकारी, ए०के०टी०यू० लखनऊ।
5. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
6. स्टाफ आफिसर, कुलपति कार्यालय, ए०के०टी०यू०, लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

Signature valid

Digitally Signed by : Reena Singh
Organisation : Personal
State : Uttar Pradesh
Postal Code : 201010 Country : IN
Serial Number :
32ce1b40b11326f13b116fb5efa4d362ab
90d73829ff737615439e5269